



न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

ग्रन्थ / ३६९३ - II - १५

/2015 पुनरीक्षण

प्री-
द्वारा ३१-१५-
प्रस्तुत
इन मध्य गवांडयर

हरिहर पुत्र भागीरथ तिवारी निवासी—
वार्ड नं०— 2, जानकी बाग तिराहा,
जिला टीकमगढ़, म०प्र० —— आवेदक

बनाम

मोप्र० शासन

— अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भृ-राजस्व संहिता

1959 विरुद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 10/11/2015

पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़,
के प्रकरण क्रमांक 25/बी-121/2015-16 व उनवान
म०प० शासन बनाम डिविज़।

माननीय महोदय

5

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.-3693-दो/15

जिला- टीकमगढ़

हरिहर विरुद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
------------------	--------------------	--

22-08-19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 25/बी/121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर जिला - सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, सागर जिला सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(जे0 के0 जैन)
सदस्य